# उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

## विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त
## साहित्यकार कल्याण कोष नियमावली–2011
## (यथासंशोधित–2015)

**उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान**
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन
6 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
दूरभाष : (0522) 2614471, 2616464, 2616465
फैक्स नं0 : 0522–2616465

# उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
# विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त
# साहित्यकार कल्याण कोष नियमावली–2011
# (यथासंशोधित–2015)

1– इस योजना का उद्देश्य विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त साहित्यकारों को अनावर्तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा से सम्पृक्त होने के कारण विषम अर्थिक स्थितिग्रस्त हैं तथा जिन्हें स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य के उपचार आदि हेतु अचानक आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में पुत्री के विवाह हेतु दिवंगत साहित्यकारों के आश्रितों को भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

2– हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में लिखित, अलिखित एवं प्रकाशित योगदान देने वाले लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों/रचनाकारों/साहित्यकारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

3– जिन साहित्यकारों ने कम से कम 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, सामान्यतः केवल वही इस योजना की परिधि में आयेंगे। विशेष परिस्थिति में, जिसका उल्लेख लिखित रूप से किया जायेगा, 60 वर्ष से कम आयु के साहित्यकारों को भी आर्थिक सहायता निदेशक/कार्यकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से प्रदान की जा सकती है। दिवंगत साहित्यकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए आयु सम्बन्धी शर्त नहीं रहेगी।

4– इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः उन साहित्यकारों को या उनके आश्रितों को सहायता दी जायेगी, जिन्होंने निरन्तर साहित्य सेवा की हो तथा समस्त स्रोत्रों को मिलाकर जिनकी आय रु0 5.00 लाख (रु0 पाँच लाख) प्रति वर्ष से अधिक न हो।

5– इस योजना के अन्तर्गत अर्थिक सहायता अनावर्तक प्रकृति की होगी और केवल एक बार देय होगी। केवल विशेष परिस्थिति में, जिसका उल्लेख लिखित रूप से किया जायेगा, हिन्दी संस्थान दूसरी बार अपवाद स्वरूप अनुदान स्वीकृत कर सकेगा।

6– अनावर्तक अनुदान एक बार में अधिकतम रुपये 50,000=00 (रुपये पचास हजार) मात्र तक दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हिन्दी संस्थान इस योजना में उपलब्ध धनराशि तथा साहित्यकार/साहित्यकार के आश्रितों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेकानुसार प्रत्येक मामले में अनुदान की धनराशि स्वीकृत करेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थिति में किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त साहित्यकार को प्राथमिकता दी जायेगी।

7– इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु प्राधिकृत प्रार्थना पत्र पर अनुरोध करना, साहित्यकार/साहित्यकारों के आश्रितों को करना होगा। अत्यन्त विशिष्ट परिस्थिति में, कम से कम दो वरिष्ठ साहित्यकारों अथवा साहित्यिक संस्था की संस्तुति पर हिन्दी संस्थान द्वारा गठित विभागीय समिति की संस्तुति के आधार पर बिना साहित्यकार के प्रार्थना पत्र के साहित्यकार अथवा दिवंगत साहित्यकार के किसी आश्रित को आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

8– प्रार्थना–पत्र के साथ–साथ राजकीय अस्पताल के अधीक्षक/चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र अथवा निजी चिकित्सक का प्रमाण पत्र यथा दिवंगत साहित्यकार के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र यथा आवश्यकतानुसार भी संलग्न करना होगा, संस्थान द्वारा इस हेतु गठित विभागीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर निदेशक/कार्यकारी अध्यक्ष की समुचित आधार पर संतुष्टि की दशा में जिसका लिखित रूप से उल्लेख किया जायेगा, इन नियमों को अपवाद स्वरूप शिथिल किया जा सकता है।

# प्रार्थना–पत्र का प्रारूप
## (प्रथम खण्ड)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | साहित्यकार का नाम | ........................................ |
| 2. | पिता का नाम | ........................................ |
| 3. | पता | ........................................ |
| 4. | जन्म–तिथि | ........................................ |
| 5. | जन्म–स्थान | ........................................ |
| 6. | उत्तर प्रदेश में कितने वर्षो से लगातार रह रहे हैं, तथा किस तिथि से रह रहे हैं | ........................................ |
| 7. | शैक्षिक योग्यता | ........................................ |
| 8. | वर्तमान सेवापद / व्यवसाय | ........................................ |
| 9. | औसत मासिक आय तथा आय का स्रोत। | ........................................ |
| 10. | क्या किसी अन्य सरकारी / गैर सरकारी स्रोत से मासिक पेंशन मिल रही है? यदि मिल रही है तो किससे और कितनी? | ........................................ |
| 11. | प्रकाशित पुस्तकों की संख्या | ........................................ |
| 12. | पुरस्कार / सम्मान (यदि कोई प्राप्त हुआ हो) | ........................................ |
| 13. | लब्धप्रतिष्ठ दो साहित्यकारों के नाम तथा पते, जो साहित्यकार की उपलब्धियों और स्तर से परिचित हों | ........................................ |
| 14. | विषम परिस्थिति, जिसके लिए आर्थिक सहायता वांछित है? | ........................................ |
| 15. | यदि चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता वांछित है, तो कब से व्याधि पीड़ित हैं, चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न करें | ........................................ |
| 16. | वांछित आर्थिक सहायता की धनराशि | ........................................ |
| 17. | अन्य सूचना, जो प्रार्थी देना चाहे | ........................................ |

इस प्रार्थना–पत्र के साथ ........................................................................................प्रमाण–पत्र संलग्न है।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम

पता........................................................

........................................................

........................................................

## (द्वितीय खण्ड)

(अतिरिक्त सूचना केवल उन प्रसंगों के लिए जहाँ दिवंगत साहित्यकार के आश्रितों द्वारा आर्थिक सहायता प्रार्थित है)

1. साहित्यकार के दिवंगत होने की तिथि –
2. दिवंगत साहित्यकार के आश्रितों की सूची –

| क्र0सं0 | नाम | पुरुष/महिला | आयु | दिवंगत साहित्यकार से सम्बन्ध | पद सेवा व्यवसाय | औसत मासिक आय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3. प्रार्थी के साहित्यकार का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण–पत्र।
संलग्न है/नहीं

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सर्वथा सत्य है, तथा मै अनुदान स्वीकृत होने की दशा में संस्थान तत्सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

इस प्रार्थना–पत्र के साथ ........................................................................................प्रमाण–पत्र संलग्न है।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम

पता...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

नोट :– ज़िलाधिकारी द्वारा प्रदत्त आय का प्रमाण–पत्र, डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा प्रार्थी के साहित्यकार का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण–पत्र यथा आवश्यक संलग्न करें।